प्रकरण संख्या 13/2019 श्रीमती गवरी बनाम शंकर

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.04.2023	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सागवाड़ा में खाता संख्या 289 में खेत संख्या 2 खसरा नंबर 5501 रकबा 6 बिस्वा एवं 5502/1 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है तथा पक्षकारान ने आपसी सहमति अनुसार मौखिक बंटवारा कर अपने-अपने हिस्से पर काबिज हैं, किन्तु मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन नहीं होने से मतभेद उत्पन्न होते हैं। अतः वाद वर्णित भूमि का विभाजन किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.04.2016 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.04.2019 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री डी.सी. चौबीसा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में दौराने कार्यवाही उसके अधिवक्ता की मृत्यु जो जाने से उन्हें प्रकरण की जानकारी नहीं हो सकी। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद [illegible] की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के [illegible] न्यायहित में विलम्ब कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ स्वीकार की जाती है। वकील अपीलान्ट ने आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी के आवेदन के साथ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति पेश कर उसे रेकार्ड पर लेने का निवेदन किया। ताईद में शपथ	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.25 14:29:01 IST
Reason: SelfAttested

पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेज रजिस्टर्ड बेनामा होकर राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

वक्त बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने अपने जवाबदावे में यह कहा था कि उक्त भूमि के संबंध में पूर्व से ही विवाद चल रहा है तथा नजरसानी माननीय राजस्व मण्डल में पेण्डिंग है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को कार्यवाही स्थगित करनी चाहिए थी। चूंकि प्रकरण विचाराधीन रहने उनके अधिवक्ता की मृत्यु हो गयी थी इस कारण अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अपीलान्ट के पिता ने वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, जिससे वादी को आराजी नंबर 5502/1 के संबंध में वाद लाने का कोई अधिकार नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की बिना जांच किये रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि उक्त भूमि के संबंध में पूर्व से विवाद होकर नजरसानी माननीय राजस्व मण्डल में पेण्डिंग है, जिसका उल्लेख उसने अपने जवाबदावे में भी किया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को इस संबंध में जांच कर निर्णय पारित करना चाहिए था। हमने इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस बाबत् तनकी नंबर 3 का गठन किया है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी हाले अपीलान्ट के विरुद्ध इस आधार पर निर्णित कर दी कि प्रतिवादी द्वारा वर्ष 2013 में नजरसानी प्रस्तुत करने के बाद इस नजरसानी पर क्या निर्णय हुआ इस बाबत् कोई जानकारी न्यायालय को नहीं दी है। अपीलान्ट का कथन है कि दौराने दावा उनके अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने से वह न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.25 14:29:01 IST
Reason: SelfAttested

में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके तथा उन्हें उनके अधिवक्ता की मृत्यु की जानकारी नहीं थी। हमारे समक्ष अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा एक रजिस्टर्ड बेचाननामा प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा आराजी नंबर 5502/1 की भूमि अपीलान्ट के पिता को विक्रय की गयी है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.07.1981 का है, जबकि वादी द्वारा दावा वर्ष 2013 में प्रस्तुत किया गया है। अर्थात वादी द्वारा विवादित आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय करने के करीब 32 वर्ष बाद दावा पेश किया गया है, जबकि उक्त आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय कर देने के बाद उक्त आराजी के संबंध में उसे वाद लाने का ही अधिकार नहीं था। हम यह पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि दौराने दावा अपीलान्ट/प्रतिवादी के अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने एवं माननीय राजस्व मण्डल में नजरसानी पेण्डिंग होने तथा वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा आराजी नंबर 5502/1 का रजिस्टर्ड विक्रय कर देने के संबंध में पक्षकारों के साक्ष्य सबूत लेकर तथा उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.06.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.25 14:29:01 IST
Reason: SelfAttested